

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 143/17 (वाद)

कैम्प – साकरोदा

1. श्री लक्ष्मण पिता अम्बालाल भील निवासी साकरोदा तह. मावली।वादी

बनाम

1. श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. लक्ष्मण भील निवासी साकरोदा हाल 367 रामनगर कच्ची बस्ती सेंती वार्ड न. 15 चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती चुन्नी पत्नी स्व. हिरालाल भील निवासी साकरोदा हाल छतरी वाली खान के पास म.न. 377 वार्ड न. 20 सेंती चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
3. श्री खेमराज पिता स्व. हिरालाल भील निवासी साकरोदा हाल छतरी वाली खान के पास म. न. 377 वार्ड न. 20 सेंती चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
4. श्री कैलाश पिता स्व. हिरालाल भील निवासी साकरोदा हाल छतरी वाली खान के पास म.न. 377 वार्ड न. 20 सेंती चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
5. राधा पुत्री स्व. हिरालाल भील निवासी साकरोदा हाल छतरी वाली खान के पास म. न. 377 वार्ड न. 20 सेंती चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
6. श्रीमती वरदी पत्नी स्व. नाथु भील निवासी साकरोदा तह. मावली।
7. श्री चतरलाल पिता स्व. नाथु भील निवासी साकरोदा तह. मावली।
8. बेनकी पुत्री स्व. नाथु भील निवासी साकरोदा तह. मावली।
9. श्रीमती सरसी पत्नी डालु भील निवासी साकरोदा तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	लक्ष्मण पिता अम्बालाल भील सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा मावली	425	1.16	बीड 0.05	0.12
		426	1.04	बा.प्र.	1.39
		430 / 1	1.03	बा.प्र. बीड 0.01	1.08 0.03

		433 मी.	1.16	चा.द्वि. 1.02	4.40
		434	0.11	बा.प्र.	1.62
				जा.द्वि. 0.07	0.70
		435 मी.	1.10	चा.द्वि. 0.04	0.80
				बीड	0.75
	योग	किता 6	8.00	—	10.89
2	श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. लक्ष्मण 1/15 भील निवासी साकरोदा हाल 367 रामनगर कच्चीबस्ती सेंती वार्ड न. 15 चित्तौडगढ श्रीमती चुन्नी पत्नी स्व. हिरालाल खेमराज कैलाश राधा पिता स्व. हीरालाल 4/15 भील निवासी साकरोदा हाल छतरी वाली खान के पास वार्ड न. 20 सेंती चित्तौडगढ श्रीमती वरदी पत्नी स्व. नाथु चतरलाल बेनकी पिता स्व. नाथु 1/3 श्रीमती सरसी पत्नी डालु 1/3 भील सा.देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा मावली हिस्सा सरसी पत्नी डालु का	427	1.07	बीड	0.68
		428	0.16	बीड	0.40
		429	0.15	चा.द्वि. 0.04	0.80
				जा.द्वि. 0.11	1.10
		430 मी.	1.13	चा.द्वि. 0.03	0.60
				जा.द्वि. 1.10	3.00
		432 मी.	0.08	जा.द्वि. 0.06	0.60
				चा.द्वि. 0.02	0.40
		435/2	3.01	बीड	1.53
	योग	किता 6	8.00	—	9.11
3	लक्ष्मण पिता अम्बालाल 1/2 श्रीमती वरदी पत्नी स्व. नाथु चतरलाल बेनकी पिता स्व. नाथु 1/6 श्रीमती सरसी पत्नी डालु 1/6 भील सा.देह. श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. लक्ष्मण 1/30 भील निवासी साकरोदा हाल 367 रामनगर कच्ची बस्ती सेंती वार्ड न. 15 चित्तौडगढ श्रीमती चुन्नी पत्नी स्व. हिरालाल खेमराज कैलाश राधा पिता स्व. हिरालाल 4/30 भील निवासी साकरोदा हाल छतरी वाली खान के पास वार्ड न. 20 सेंती चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा मावली हिस्सा लक्ष्मण पिता अम्बालाल व सरसी पत्नी डालु का	430/2	0.02	जा.द्वि.	0.20
		431	0.04	आ.चा.	—
		432/1	0.01	(कुंआ)	0.02
		433/1	0.03	बीड	—
		435/1	0.05	रास्ता	—
				रास्ता	—
	योग	किता 5	0.15	—	0.22

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली